प्रेस नोट ***जनपद – संतकबीरनगर*** ***दिनांक – 31.10.2026***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए तथाकथित मृतका को सकुशल जीवित अवस्था में किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 593/2026 धारा 191(2), 352, 351(3), 103(1), 238(बी) बीएनएस से सम्बन्धित तथाकथित मृतका रिंकू पुत्री राजेन्द्र निवासी ग्राम तेजपुर, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर को लोहरैया चौकी के पास से सकुशल जीवित अवस्था में बरामद किया गया।

घटना का विवरण- वादी श्री विनय उर्फ बबलू कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी तेजपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 17.08.2026 को थाना धनघटा पर प्रार्थना प्रत्र दिया गया कि विपक्षीगण 01 देवेन्द्र राव 02. चित्रसेन पुत्रगण नागेन्द्र राव 03. नागेन्द्र राव पुत्र सुरेश 04. बिन्द्रावती पत्नी नागेन्द्र राव निवासीगण तेजपुर 05. संतोष पुत्र शिव पसंत निवासी बच्छईपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा वादी की बहन को मार पीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। थाना धनघटा पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर विपक्षीगण उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.10.2026 की रात्रि में लोहरैया चौकी के पास से तथाकथित मृतका को सकुशल जीवित अवस्था में किया गया बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान रिंकू द्वारा बताया गया कि उसकी शादी दिनांक 22 नवम्बर 2024 को खजनी निवासी मुंशी प्रसाद से हुई थी। शादी से पूर्व वह गांव के देवेन्द्र राव पुत्र नागेन्द्र राव से करीब 14 वर्षों से बातचीत करती थी तथा शादी के बाद भी बातचीत जारी रही। देवेन्द्र के कहने पर पति से तलाक लेने के बाद वह मौसी के घर ग्राम रापतपुर भमया रहने लगी। करीब 15 दिन बाद देवेन्द्र उसे अपने घर ले गया, जहां वह लगभग 07 माह रही। इस दौरान देवेन्द्र एवं उसके परिवार द्वारा मारपीट किए जाने तथा जान से मारने की साजिश की बात सुनकर वह रात करीब 03 बजे वहां से भागकर पौली चौराहे पहुंची, जहां से उसके पिता उसे घर ले गए। बाद में उसने देवेन्द्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। करीब एक माह बाद चाचा के घर चपरापूर्वी रहने के दौरान चाची परमिला की पहल पर उसकी सहमति से हरियाणा निवासी ललित राम पुत्र रामकरन से दूसरी शादी हुई। ललित राम उसे हरियाणा ले गया। करीब 06 माह बाद उसने पिता को फोन कर वापस बुलाने को कहा। लगभग डेढ़ वर्ष बाद पिता उसे हरियाणा से लाकर मौसी के घर छोड़ गए। मुकदमे की जानकारी होने पर वह अपने गांव तेजपुर जा रही थी तभी रास्ते में पुलिस टीम द्वारा उसे बरामद कर लिया गया।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव, का0 रामप्रवेश राजभर, का0 अंकित कुमार, म0का0 मीरा मिश्रा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री दिलीप कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 400/2026 धारा 108 बीएनएस में वाँछित अभियुक्त मनोज कचेर पुत्र स्व0 अकाले कचेर निवासी बौरब्यास थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को बेलहसा बगिया के पास से आज दिनांक 31.10.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 28.10.2026 को थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त वादी की बहु को परेशान करता था और धमकी देता था, जिससे परेशान होकर वादी की बहु ने दिनाँक 28.10.2026 को दुपट्टे से फन्दा लगाकर आत्मत्या कर लिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 31.10.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, का0 संजय यादव, का0 हेमन्त कुशवाहा।

***क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क थाना मेंहदावल पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 1,09,555.76 रू की धनराशि ***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संचालित क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना मेंहदावल टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक के मोबाइल को हैक करके अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक उपरोक्त के खाते से 3,98,000.00 रूपए की धोखाधड़ी कर साइबर ठगी की गयी ठगी के शिकार हुए पीड़ित को 1,09,555.76 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

पीड़ित के मोबाइल को हैक करके अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक के खाते से 3,98,000.00 रूपए की धोखाधड़ी कर साइबर ठगी की गयी, पीड़ित सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामदेव प्रसाद निवासी मेंहदावल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से शिकायत संख्या – 33106260127934 पंजीकृत की गयी थी, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरक्षी संदीप कुमार गौतम, आरक्षी सौरभ कुमार व आरक्षी अमित कुमार द्वारा तत्काल संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से धनराशि को होल्ड कराया और विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आवेदक के खाते में धनराशि 1,09,555.76 रुपये वापस करा दी गयी। अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन एवं साइबर टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

साइबर सेल टीम का विवरण– प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, नि0अ0 श्री ओम प्रकाश यादव, आरक्षी संदीप कुमार गौतम, आरक्षी सौरभ कुमार, आरक्षी अमित कुमार व महिला आरक्षी अंशिका तिवारी ।

जनता से अपील-

*संतकबीरनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर *1930* पर कॉल करें तथा आधिकारिक वेबसाइट *www.cybercrime.gov.in* पर शिकायत दर्ज कराएं। अपनी OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV एवं बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सतर्कता बरतें।*

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5264 द्वारा दो पक्षो में विवाद/मारपीट में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5264 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मोहद्दीपुर से कालर द्वारा दो पक्षो में मारपीट विवाद होने से घायल एक महिला (01. रेखा मिश्रा पत्नी सत्यनारायण मिश्रा निवासी मोहद्दीपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर विवाद/मारपीट में घायल महिला को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घायल महिला को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- आ0 पेशकार कुमार भारती, हो0गा0चा0 साकेत कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 133 वाहनों से 2,28,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 31.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 133 वाहनों से 2,28,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।